



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 (सामान्य) के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-158/खा०ग्रा०बो०/प्रशि०अनु०/कार्ययोजना पत्रा०/2026-27, दिनांक 20.04.2026 द्वारा प्रेषित सम्बन्धित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 440.00 लाख (रूपये चार करोड़ चालीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-158/खा०ग्रा०बो०/प्रशि०अनु०/कार्ययोजना पत्रा०/2026-27, दिनांक 20.04.2026 में संलग्न की गयी सम्बन्धित कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक सत्र में प्रवक्ता सहित समस्त प्रशिक्षार्थियों का तीन-तीन डिजिटल फोटोग्राफ, जिसमें समय एवं तिथि अंकित हो खिचवाकर संरक्षित किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षार्थियों के मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर भी उल्लिखित किये जायेंगे।
- (7) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।
- (8) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति आख्या, अतिथि संकाय, मानदेय प्राप्त लाभार्थियों तथा मास्टर ट्रेनरों की सूची (मोबाइल नम्बर सहित) एवं चालू वित्तीय वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध करायेंगे।
- (10) सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर संचालित किये जायेंगे, अपरिहार्य प्रस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों के सुविधानुसार जिला मुख्यालय पर भी संचालित किये जायेंगे।
- (11) उक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी, उसका व्यय/उपभोग उसी कार्य मद में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत है। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित योजनाधिकारी/विभागाध्यक्ष उत्तरादायी होंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,40,00,000 (रु० चार करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-005 लेखा शीर्षक 2851001052600 कौशल सुधार प्रशिक्षण मानक मद-44-प्रशिक्षण** हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-32/2026/210(1)/59-2-2026/001-1812346 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र०, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।